उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या 2/2018–19 दिनांक 01/10/2018

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 29/10/2018

आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि : 01/11/2018

''**विशेष सूचना :– (क)** ''बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।'' **(ख)** आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ''आन–लाइन आवेदन पद्धति'' (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन–लाइन आवेदन ही करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1. आयोग की **http://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ''आनलाइन आवेदन पद्धति'' लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन–लाइन आवेदन हेतु "APPLY" पर Click करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण – APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट–1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही–सही निर्देशानुसार आन–लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन "Submit" करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. **आवेदन शुल्क :** आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

1-अनारक्षित (सामान्य)	– परीक्षा शुल्क रु0 80/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग कुल रु0 105/–
2-अन्य पिछड़ा वर्ग	– परीक्षा शुल्क रु0 80/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग कुल रु0 105/–
3-अनुसूचित जाति	– परीक्षा शुल्क रु0 40/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग कुल रु0 65/–
4-अनुसूचित जनजाति	– परीक्षा शुल्क रु0 40/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग कुल रु0 65/–
5-विकलांग श्रेणी	– परीक्षा शुल्क NIL + आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग कुल रु0 25/–
6-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी–के आश्रित	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
7-भूतपूर्व सैनिक	– क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8-महिला	– क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. **सबमिट (Submit) किये गये आवेदन में संशोधनः– आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, श्रेणी, उपश्रेणी एवं सामान्य निवास (Domicile) को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–**

''अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं0, जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domclie) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् 'Authentication through' में तीन विकल्प प्रदर्शित होंगे, यथा Registered Mobile, Registered e-mail ID तथा OTP (One Time Password) उक्त तीनों विकल्पों में से अभ्यर्थी द्वारा जिस विकल्प हेतु चयन किया जाता है, उससे सम्बन्धित सूचना अंकित करने हेतु Option Box प्रदर्शित होगा, जिसमें वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।''

अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद/पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश

01 (एक) पद सहायक शासकीय हस्तान्तरक। पद का स्वरूप–राजपत्रित (समूह 'क')/स्थायी, **वेतनमान**– रु0 15600–39100/– ग्रेड वेतन रु0 6600/–, **आरक्षण**– अनारक्षित, **(विभाग संख्या**– सेवा– 2/1)। **शैक्षिक अर्हतायें–अनिवार्य** – (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और (2) मौलिक रूप से नियुक्त सरकार में कोई पदधारी हो जिसका वेतनमान रु0 15600–39100/– (वेतन बैण्ड–3) ग्रेड वेतन रु0 5400/– अवश्य हो और कानूनी मामलों के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य करने या विधिक दस्तावेजों के हस्तान्तरण लेखन का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव अवश्य हो, अथवा मौलिक रूप से नियुक्त सरकार में ऐसा पदधारी हो जिसका वेतनमान रु0 15600–39100/– (वेतन बैण्ड–3) ग्रेड वेतन रु0 5400/– अवश्य हो जिसने उसके द्वारा की गयी सेवाओं के पद पर वेतनमान रु0 9300–34800/– (वेतन बैण्ड–2) ग्रेड वेतन रु0 4600/– या उक्त पद पर उसके नियुक्ति के पहले उच्चतर वेतनमान को सम्मिलित करते हुए 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो और कानूनी मामलों के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य करने या विधिक दस्तावेजों के हस्तान्तरण लेखन का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव अवश्य हो। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगाः **(एक)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(दो)** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का **'बी'** प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या **(तीन)** जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, या **(चार)** जिसके पास विभिन्न प्रकार के विलेखों–यथा पट्टा, विक्रय और करार इत्यादि के प्रारूपण का दो वर्ष का अनुभव हो। **आयु सीमा**– 21 से 45 वर्ष। (आयु में छूट नियमानुसार)।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0

04 (चार) पद अर्थ एवं संख्याधिकारी (सामान्य चयन)। **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/स्थायी, **वेतनमान**– लेवल–10 रु0 56,100–1,77,500/–, **(विभाग संख्या**– सेवा– 2/2), **आरक्षण**– अनारक्षित–01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 03 पद आरक्षित है। क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा। **अर्हतायें– अनिवार्य** – (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का **'बी'** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)।

राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 (नवीन प्रभाग)

06 (छः) पद शोध अधिकारी (प्राविधिक) (सामान्य चयन)। **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/स्थायी, **वेतनमान**– रु0 15600–39100/– ग्रेड वेतन– रु0 5400/– लेवल–10, **(विभाग संख्या**– सेवा– 2/3), **आरक्षण**– अनारक्षित–03 पद, तथा उ0प्र0 के अनु0जाति के लिए 03 पद आरक्षित है। क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार। **अर्हतायें–अनिवार्य** – (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का **'बी'** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)।

उ0प्र0 सचिवालय विधायी विभाग सेवा

01 (एक) पद विधीक्षण अधिकारी। पद का स्वरूप– राजपत्रित/अस्थायी/पेंशनयुक्त नहीं, **वेतनमान– वेतनबैण्ड–3, रु0 15,600–39,100/– ग्रेड वेतन– रु0 5400/– के सादृश्य मैट्रिक्स के लेवल–10 रु0 (56100–177500)**, **(विभाग संख्या**– सेवा– 2/4), **आरक्षण**– अनारक्षित। **शैक्षिक अर्हतायें**– **(अ) अनिवार्य अर्हतायें** – भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कला स्नातक उपाधि (एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य या हिन्दी साहित्य के साथ) या विज्ञान स्नातक उपाधि या वाणिज्य स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय

continued..

size : 38x25
Kaka Advt. Agency

से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय विधि स्नातक उपाधि, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पाँच वर्षीय विधि स्नातक की उपाधि। **(ब) अधिमानी अर्हता**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''ब'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या (तीन) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो। **आयु**– 21 से 40 वर्ष । आयु में छूट नियमानुसार देय है।

संस्कृति विभाग, उ0प्र0

01 (एक) पद संग्रहालयाध्यक्ष। आरक्षण– अनारक्षित (सामान्य चयन), **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/अस्थायी, **वेतन बैण्ड**– रु0 9300–34800/– ग्रेड वेतन– रु0 4800/– (मैट्रिक्स लेवल–8), (**विभाग संख्या**– एस– 3/10)। **अनिवार्य अर्हतायें**– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व या संस्कृति में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा या किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जो– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत या पाली विषय के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (3) पुरातत्व या लोक कला के क्षेत्र में प्रकाशित लेख या अन्य प्रकाशन। (4) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (5) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में नियमानुसार छूट)।

उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग

01 (एक) पद निदेशक। आरक्षण– अनारक्षित (सामान्य चयन), **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/स्थायी, **वेतनबैण्ड**– रु0 15,600–39,100/– ग्रेडवेतन– रु0 7600/– (मैट्रिक्स लेवल–12), (**विभाग संख्या**– एस–3/11)। **अनिवार्य अर्हतायें**– (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त पुरातत्वीय संस्था से पुरातत्व में डिप्लोमा और 5 वर्ष के क्षेत्र (फील्ड) अनुभव के साथ केन्द्रीय या राज्य पुरातत्वीय संस्थाओं या संगठनों में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा, या 07 वर्ष का क्षेत्र (फील्ड) में कार्य करने के अनुभव के साथ केन्द्र या राज्य पुरातत्वीय संस्था या संगठन में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा– (1) पुरातत्व से सम्बन्धित प्रकाशन और शोध कार्य। (2) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (3) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयु**– 30 से 40 वर्ष (आयु में नियमानुसार छूट)।

उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग
जनजाति निदेशालय (मुख्यालय)

(सामान्य चयन)

क्र0 सं0	पद का नाम व विभाग सं.	कुल रिक्ति	श्रेणी			
			अना–रक्षित	अ.पि. वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1.	जनजाति अधिकारी (एस–4/1)	01	01	–	–	–
	योग	**01**	**01**	–	–	–

पद का स्वरूप– राजपत्रित/स्थायी, **वेतनमान**– मैट्रिक्स लेवल–7 मूल वेतन रुपया– 44900/–। **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)। **अपेक्षित अर्हतायें:– अनिवार्य:**– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या (दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, या (तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक वैकल्पिक विषय के रूप में मानवशास्त्र या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या किसी सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। **अधिमानी अर्हतायें:**– 1– मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, 2– जनजाति कार्य का अनुभव।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0

02 (दो) पद सहायक भू–भौतिकविद्। पद का स्वरूप– राजपत्रित/स्थायी, **आरक्षण**– (1) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्ति–01 (2) अनारक्षित रिक्ति–01, (**विभाग संख्या**– एस–6/1), **वेतनमान**– रु0 15,600–39,100/– ग्रेड पे– रु0 5400/–। **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू–भौतिकी या प्रयुक्त भू–भौतिकी या भू–विज्ञान या प्रयुक्त भू–विज्ञान में, कुल योग में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, परन्तु भू–विज्ञान/प्रयुक्त भू–विज्ञान के स्नातकोत्तर उपाधि की दशा में अभ्यर्थी ने बी0एस0सी0 की उपाधि में भौतिक विज्ञान और गणित विषय लिया हो, और (दो) उच्च गवेषण भू–भौतिकी पाठ्यक्रम के साथ खनिज निक्षेप की खोज के लिये काम में लाये जाने वाले परम्परागत और आधुनिक भू–भौतिक उपकरणों को प्रयोग करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण। (तीन) भू–भौतिक गवेषण का एक वर्ष का क्षेत्र अनुभव। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने– (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र धारित किया हो। **आयु सीमा**– 21 से 40 वर्ष। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार अनुमन्य)।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग

2354 (दो हजार तीन सौ चौवन) पद एलोपैथिक चिकित्साधिकारी श्रेणी–1 (सामान्य चयन) के अन्तर्गत, (**विभाग संख्या**– सेवा–8/01), **आरक्षण**– कुल रिक्तियों की संख्या व आरक्षण निम्नवत् हैः–

कुल रिक्तियाँ	सामान्य श्रेणी	अ0पि0 वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
2354	1178	635	494	47

(क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद OL (One leg affected, Right or left) या PB (Partially Blind) के लिए चिन्हांकित है), **वेतनमान**– रु0 15600–39100/–, ग्रेड वेतन– रु0 5400/– व अन्य भत्ते शासनादेशानुसार, **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/अस्थायी, **परिवीक्षा अवधि** 2 वर्ष। **अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**– सीधी–भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि होना आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा परिषद या उ0प्र0 चिकित्सा परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि/चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में वरीयता दी जायेगी। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी–भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा– (1) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयुसीमा**– 21 से 40 वर्ष तक (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट)। **आवश्यक निर्देश– आन–लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक एक वर्षीय इन्टर्नशिप पूर्ण होना आवश्यक है।** अभ्यर्थी आवेदन के समय आयु, अनिवार्य अर्हता, इन्टर्नशिप, अनापत्ति प्रमाण– पत्र (यदि सरकारी सेवा में हैं तो) एवं आरक्षण सम्बन्धी दावे की पुष्टि में **निर्धारित प्रारूप** पर स्पष्ट प्रमाण–पत्र होना अवश्य सुनिश्चित कर लें। साथ ही उ0प्र0 चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीकरण प्रमाण– पत्र भी वांछनीय है। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन के समय उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र न हो, तो उन्हें चयन की स्थिति में **45 दिन** के अन्दर उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क देय नहीं है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (एलोपैथी)

04 (चार) पद, राजकीय मेडिकल कालेजों के ट्रामा सेन्टर में नवसृजित आचार्य (एलोपैथी)। पद का स्वरूप– राजपत्रित एवं अस्थायी, **आरक्षण**– अनारक्षित (सामान्य चयन), **वेतनमान**– रु0 37400/– से 67000/– + ए0जी0पी0 10,000/–, **आयुसीमा**– न्यूनतम 35 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष। विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	पद/विशिष्टता का नाम आचार्य	रिक्तियों की संख्या	अना–रक्षित	अनु0 जाति	अ. पि. वर्ग	अनु0 जन–जाति	विभाग संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	न्यूरो सर्जरी	01	01	00	00	00	सेवा–8/2
2	आर्थो सर्जरी	01	01	00	00	00	सेवा–8/3
3	सामान्य सर्जरी	01	01	00	00	00	सेवा–8/4
4	एनेस्थिसिया	01	01	00	00	00	सेवा–8/5
	योग	**04**	**04**	**00**	**00**	**00**	–

अर्हतायें अनिवार्य:– क्र.सं.– 01 – आचार्य (न्यूरो सर्जरी)– (क) एम0सी0एच0 (न्यूरो सर्जरी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एसो0 प्रोफेसर (न्यूरो सर्जरी) के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग) इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या सम्बन्धित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.– 02 – आचार्य (आर्थो सर्जरी)**– (क) एम0एस0 (आर्थो) अथवा एम0सी0 आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एसो0 प्रोफेसर (आर्थो) के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग) इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या सम्बन्धित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.– 03– आचार्य (सामान्य सर्जरी)**–(क) एम0एस0 (सर्जरी)/एम0 एस0 (सामान्य सर्जरी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एसो0 प्रोफेसर सामान्य सर्जरी के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग)इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या सम्बन्धित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.– 04– आचार्य (एनेस्थिसिया)**– (क) एम0डी0/एम0एस0 (एनेस्थीसियोलॉजी) अथवा/एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एसो0 प्रोफेसर (एनेस्थीसियोलॉजी) के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग) इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या सम्बन्धित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ0प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोटः** अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम0सी0आई0 से होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उ0प्र0 चिकित्सा (यूनानी) विभाग

25 (पच्चीस) पद चिकित्साधिकारी (सामान्य चयन), उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों के अन्तर्गत। (**विभाग संख्या**– सेवा–11/07), **पद का स्वरूप**– राजपत्रित एवं अस्थायी, **रिक्तियों का विवरण**– कुल पद–25, अनारक्षित–17, अ0पि0व0–08, **क्षैतिज आरक्षणः**– उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों हेतु 05 पद, **वेतनमान**– पे–बैण्ड–3, रु0 15600– 39100/– ग्रेड वेतन– 5400/– लेवल–10 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)। **अर्हतायें–अनिवार्य**– (क) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि। या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश की यूनानी तिब में पांच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा। (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण। (ग) राज्य के यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव। **अधिमानी अर्हता**– (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब में स्नातकोत्तर उपाधि। **आयु**– न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। **अन्य शर्त एवं अर्हता**– नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी चिकित्सालयों/फार्मेसी/कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोट**– (1) पद नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित होना परिभाषित। (2) सामान्य वर्ग की महिलायें पिता पक्ष से उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें महिला आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के सन्दर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलाइन आवेदन में करें तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंक तालिकाएं जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण– पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

उ0प्र0 चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग

(i) 01 (एक) पद **प्रवक्ता इल्मुल अदबिया** (सामान्य चयन), राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिए। (**विभाग संख्या**– सेवा–11/8), **आरक्षण**– अनारक्षित, **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/अस्थायी, **वेतनमान**– लेवल–10, रु0 15600–39100/–, ग्रेड वेतन– 5400/–। **अर्हतायें–अनिवार्य**– (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में पांच वर्ष की उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी**– (1) शोध कार्य और मौलिक–पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **अधिमानी अर्हतायें**– ऐसे अभ्यर्थी जिसने, (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **आयु**– न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)। **अन्य शर्त एवं अर्हता**– नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोट**– (1) उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के सन्दर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण–पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी **अनिवार्य अर्हता संख्या–3** हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंक पत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे।

(ii) प्रदेश के राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के लिए **रीडर** के निम्नलिखित पद (सामान्य चयन):–

क्र0 सं0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	अना–रक्षित	अ0 पि0 व0	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	विभाग संख्या
1–	रीडर तहफ्फुजी व समाजी तिब	01	01	–	–	–	एस–11/9
2–	रीडर इलाज बिद् तदबीर	02	02	–	–	–	एस–11/10
3–	रीडर ऐन उज्न–अनफ–हलक–व असनान	01	01	–	–	–	एस–11/11

continued..

size : 38x25

Kaka Advt. Agency

पद का स्वरूप– राजपत्रित/अस्थायी, **आरक्षण**– सभी पद अनारक्षित, **वेतनमान**– वेतन बैण्ड रु0 15,600–39,100/– ग्रेड–पे– 6600/– लेवल–11 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)। **शैक्षिक अर्हतायें**– **अनिवार्य**– (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में **पाँच वर्ष** की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय की **पाँच वर्ष** की उपाधि, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 05 वर्ष)। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी**– (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक–पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **अधिमानी अर्हता**– ऐसे अभ्यर्थी जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **आयु**– न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)। **अन्य शर्त एवं अर्हता**– (1) नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोट– (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के सन्दर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण–पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी **अनिवार्य अर्हता संख्या–3** हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अर बी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंक पत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(4)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/ निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(5)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के सन्दर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें, जिसमें अधिकतम अंक/ न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0

समूह ''ख'' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन (सामान्य चयन):–

क्र0 सं0	विभाग संख्या	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या				
			अनु0 जाति	अ0 पि0 वर्ग	अना–रक्षित	उ0प्र0 की महिला (क्षैतिज आरक्षण)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस–12/26	जल विज्ञानी (भूगर्भ विज्ञान)	02	03	09	02	14
2.	एस–12/27	सहायक भू-भौतिक विद्	02	02	06	02	10

पद का स्वरूप– राजपत्रित/स्थायी, **पेंशन**– नई पेंशन नीति के अन्तर्गत, **वेतनमान**– रु0 15600–39100/– ग्रेड पे– रु0 5400/–, **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)। **(1) पद का नाम: जल विज्ञानी (भूगर्भ विज्ञान), अनिवार्य अर्हता**– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित भू–गर्भ शास्त्र (जियोलॉजी) या अकार्बनिक भू–गर्भ विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हता**– (एक) 60 प्रतिशत अंकों सहित भू–गर्भ भू–जल (ग्राउण्ड वाटर हाइड्रोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, (दो) भू–गर्भ जल अन्वेषण और समन्वेषण में 02 वर्ष का अनुभव। **(2) पद का नाम: सहायक भू–भौतिक विद्, अर्हतायें– अनिवार्य अर्हता**– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित भू–भौतिकी/भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हता**– (एक) 60 प्रतिशत अंकों सहित भू–गर्भ भू–जल (ग्राउण्ड वाटर हाइड्रोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, (दो) भू–गर्भ जल अन्वेषण और समन्वेषण में 02 वर्ष का अनुभव।

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, लखनऊ

01 (एक) पद शोध अधिकारी (सामान्य चयन)। **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/अस्थायी, **आरक्षण**– (1) अनारक्षितः–01, (**विभाग संख्या**– सेवा– 5/1), **वेतनमान**– रु0 56100–177500/– लेबल–10। **शैक्षिक अर्हतायें**:– **(1) अनिवार्य अर्हतायें**:– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना आवश्यक है। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)।

संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0

04 (चार) पद सहायक निदेशक (02 पद स्थायी तथा 02 पद अस्थायी) (सामान्य चयन)। **पद का स्वरूप**– राजपत्रित, **आरक्षण**– (I) अनारक्षित पदों की संख्या–02 (II) अनुसूचित जाति–01 (III) अन्य पिछड़ा वर्ग–01, (**विभाग संख्या**– सेवा– 5/2), **वेतनमान**– रु0 15600–39100/– ग्रेड वेतन रु0 5400/–। **शैक्षिक अर्हतायें**:– **(1) अनिवार्य अर्हतायें**:– (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। **अधिमानी अर्हतायें**:– अन्य बात के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः– (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **आयु**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार)।

पर्यटन विभाग, उ0प्र0

03 (तीन) पद क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी (सामान्य चयन)। **आरक्षण**– 01 पद उ0प्र0 के अनु0 जाति, 01 पद उ0प्र0 के अ0पि0वर्ग हेतु आरक्षित तथा 01 पद अनारक्षित, **पद का स्वरूप**– राजपत्रित/स्थायी/बिना पेंशनयुक्त, **वेतनमान**– रु0 15600– 39100/–, ग्रेड वेतन–5400/–, **आयुसीमा**– 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार), (**विभाग संख्या**– सेवा– 9/4)। **शैक्षिक अर्हतायें**:– **(एक) अनिवार्य**– (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, **और** (ख) हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता। **(दो) अधिमानी**– (क) इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र या वास्तुशिल्प में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि हो, **या** (ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था का पर्यटन, होटल प्रबन्ध, व्यापार प्रबन्ध, जनसम्पर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में डिप्लोमा/उपाधि रखता हो, **या** (ग) अंग्रेजी से भिन्न किसी विदेशी भाषा में किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र रखता हो, **या** (घ) यात्रा व्यवसाय में किसी यात्रा आयोजित करने वाली संस्था का प्रमाण पत्र रखता हो, **या** (ङ) सामान्य ज्ञान और कम्प्यूटर में किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र। **अधिमानी अर्हतायें**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः– (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 29/10/2018

आनलाइन आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि : 01/11/2018

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तो के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2018 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या–1648/79–5–2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या– 1508/15–08–2015–3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।

5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी।

(I) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

8. मूल प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रकिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल–प्रमाण–पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र।

13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

13.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 18/1/2008–का–2–2008, 3 फरवरी 2008 के साथ संलग्न प्रारूप–1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या–22/21/1983–का–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा।

13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या–22/16/92–टी.सी.–III/का–2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

13.6 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तो के अनुसार अर्ह हैं।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/ पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से

continued..

केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या– 3014, कार्मिक–2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या– 6/1972, कार्मिक–2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/79–वि–1–15–1(क) 14–2015 दिनांक 07–04–2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

16. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर "Contact Us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

19. अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट–1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a **'Declaration'** for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the **Declaration** carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on **'I Agree'** or **'I do not agree'** buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and post name

Personnel Details

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on “Preview” button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on “Submit” button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using “Back” button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “Print” OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **http://uppsc.up.nic.in** in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

:- ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration
2. Fee Deposition /Reconciliation
3. Submit Application Form

:- APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode
View Application Status
List of Applications Having photo related Objections
Print Duplicate Registration Slip
Print Detailed Application Form

:- EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

:- DOWNLOAD SEGMENT

Download Document of Verification for this Examination
Download Admit Card
Download Interview Letter : After Examination
Download Interview Letter : Direct Recruitment
Download Syllabus
Know your Registration No.
Click here to view Key Answer Sheet
Latest Tenders

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *** .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png** format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, colours etc., during the process of scanning.
6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant’s signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-

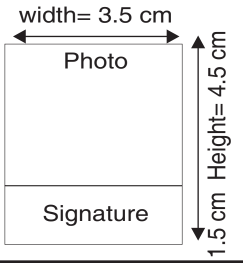

परिशिष्ट

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान		हस्ताक्षर............................
दिनांक		पूरा नाम............................
मुहर		पद नाम............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री .... निवासी .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान		हस्ताक्षर ....
दिनांक		पूरा नाम ....
मुहर		पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
ANNEXURE

Certificate No.		Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum .... son/wife/daughter of Shri .... age .... Sex .... identification mark(c) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
  (a) Impaired reach
  (b) Weakness or grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
  (a) Impaired reach
  (b) Weakness of grip
  (c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
  (a) Impaired reach
  (b) Weakness of grip
  (c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)
(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind
(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of .... years .... months.*
3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.
4. Sh./Smt/Kum .... meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No
(v) B-can perform work by bending	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/
CMO/Head of Hospital
(with seal)

* Strike out which is not applicable

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... निवासी ग्राम–

continued..

.... नगर– .... जिला– .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थानः हस्ताक्षर ....
दिनांकः पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा / खेल– कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... नाम ....
पद ....
संस्था का नाम ....
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव